72

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर ,

केम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण क्र0 R-3698-III/14

1- इन्तेजामिया कमेटी वक्फ कब्रस्तान

अब्दुल वाहब साहब अलीपुर आष्टा तहसील आष्टा

द्वारा अध्यक्ष श्री मुन्नवर उल्ला पुत्र स्व0 श्री अमानत

उल्ला , निवासी वार्ड क्र0 1 अलीपुर आष्टा ,

तहसील आष्टा जिला सीहोर म0प्र0 - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

1- म0प्र0 शासन द्वारा जिला धीश महोदय

सीहोर , जिला सीहोर म0प्र0

2- अफजाल एहमद पिता फजलुउद्दीन आयु 70 साल

**अनावेदक अफजाल अहमद के वारिसान का विवरण**

(अ) राशिदा बी पत्नि स्व. अफजाल अहमद आयु लगभग 60 वर्ष निवासी- मोहल्ला अलीपुर आष्टा जिला सीहोर,

(ब्री) बिरजिस जहाँ पत्नि शफीक उर्र रहमान पुत्री अफजाल अहमद आयु लगभग 32 वर्ष निवासी- किला आष्टा जिला सीहोर,

(स) आफताब अहमद पुत्र स्व. अफजाल अहमद आयु लगभग 35 वर्ष निवासी- मोहल्ला अलीपुर आष्टा जिला सीहोर,

(द) आकिल अहमद पुत्र स्व. अफजाल अहमद आयु लगभग 29 वर्ष निवासी- मोहल्ला अलीपुर आष्टा जिला सीहोर, म.प्र.

निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है -

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3698–दो/2016 जिला सीहोर

इन्तेजामिया कमेटी वक्फ कब्रस्तान विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 20–9–2016 | उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।<br>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क के अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार आष्टा के प्रकरण कमांक 20/अ–6/94–95 में पारित आदेशदिनांक 23–8–95 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 6–8–14 को मय शपथ पत्र के आवेदन पेश कर अवगत कराया कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखें में म0प्र0 शासन वक्फ बोर्ड संपत्ति अहस्तान्तरणीय कब्रस्तान दर्ज है। गजट नोटिफिकेशन 371 और खसरे में भी विगत कई वर्षों से भमि कब्रस्तान अब्दुल वाहब साहब तथा प्रबन्धक म0प्र0 बोर्ड अस्तान्तरणीय दर्ज है। दिनांक 14–8–14 को वक्फ बोर्ड और इन्तेजामिया कमेटी द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता एवं अधिकारिता क्षेत्र के संबंध में आपतित कर अपील खाजिर करने का अनुरोध किया, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का निराकरण नहीं किया और न ही अपील के प्रचनलशील होने और अधिकार क्षेत्र में न होने के बिन्दु पर कोई विचार किया तथा दिनांक 14–8–14 को यह आदेश पारित किया कि मौका स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि न की जाये जिससे वादि स्थल के वर्तमान स्वरूप में | |

कोई परिवर्तन हो। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 14–8–14 को आदेश पारित करते समय यह तथ्य नजरअन्दाज किये है कि प्रश्नाधीन भूमि वक्फ बोर्ड होकर कब्रस्तान है जिसमें मुर्दा दफन होते हैं जिसमें अफलाल बेग बगैरा द्वारा बाधा उत्पन करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन नहीं दिया गया था फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण को स्थगित करने के आदेश देने में त्रुटि की है। इससे संबंधित प्रकरण वक्फ अधिकरण में लंबित है जिसमें अनावेदक द्वारा वक्फ बोर्ड के विरूद्ध दाविया भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी जिसमें एकल क्षेत्राधिकार प्राप्त वक्फ अधिकरण ने प्रकरण कमांक 65/14 में पारित आदेश दिनांक 3–2–16 की कंडिका 16 में स्पष्ट कर दिया है कि दाविया भूमि वक्फ कब्रस्तान है इस प्रकार दाविया भूमि अनावेदकगण के स्वामित्व और आधिपत्य की नहीं है और वक्फ अधिकरणके अलावा सिविल न्यायालय और रेवेन्यु न्यायालय को दाविया भूमि के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए दोनों आदेश निरस्त किये जायें।

3/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदकगण कमांक 2 लगायत 4 के दादा बशीरउद्दीन को सनद् नं0 264 दिनांक 19–9–1933 को भोपाल नबाव हमीदउल्ला खां द्वारा खसरा कमांक

170 का लगान माफ करते हुये प्रदान की गई थी। भूमि दान करने के समय से समस्त अधिकार भोपाल नवाब के हाथ में सुरक्षित थे। राजस्व रिकार्ड में इसकी प्रविष्टी है। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र फजलउद्दीन वादग्रस्त कृषि भूमि के आधिपत्यधारी रहे तथा उनकी मृत्यु उपरांत अनावेदक कमांक 2, 3, एवं 4 इसके मालिक बने तथा विधिवत राजस्व रिकार्डों में उनका नामांतरण हुआ जो वर्ष 1995 तक निरंतर रहा। तहसीलदार आष्टा ने दिनांक 23–8–1995 को बिना किसी उचित कारण के उत्तरदाताण के नाम को राजस्व रिकार्ड से विलोपित कर दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध जानकारी दिनांक से समय–सीमा में अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई। चूंकि अनावेदकगण को उक्त भूमि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के लागू होने के पूर्व प्राप्त हो गई थी इसलिए इसकी प्रविष्टियों को परिवर्तित करने के अधिकार राजस्व अधिकारियों को नहीं है। चूंकि इस भूमि से संबंधित प्रकरण राज्य वक्फ अधिकरण में लंबित है और वक्फ अधिकरण का फैसला ही मान्य किये जायेगा इसलिए अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 14–8–14 पारित कर यह निर्देश दिये हैं कि मौका स्थल पर किसी प्रकार की काई ऐसी गतिविधि न की जाये जिससे बाधित स्थल पर वर्तमान स्वरूप में कोई परिवर्तन हो। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

4/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 4–9–14 के ऊपर उठाये गये तर्क का प्रश्न है कि उक्त दिनांक को आवेदक के अभिभाषक ने इस नामांतरण से संबंधित प्रकरण व्यवहार न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहार न्यायालय के आदेश के निराकरण तक प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित करने के आदेश दिये हैं। चूंकि स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही संभव है और व्यवहार न्यायालय से ही संभव है इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करने में त्रुटि नहीं की है। प्रश्नाधीन आदेश को संपादित हुये 2 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। यदि व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है तो दिनांक 14–8–14 को प्रस्तुत आवेदन सहित प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे। निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

20-9-016

(के0सी0 जैन)
सदस्य